



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

27 आश्विन 1938 (श0)

(सं0 पटना 911) पटना, बुधवार, 19 अक्टूबर 2016

निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग

अधिसूचनाएं

18 अक्टूबर 2016

सं0 11/अधि0 कार्या0-01-06/2016/4026—बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा-13 के परंतुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार निम्नलिखित कोटि के विद्यमान अनुज्ञप्तिधारियों को निम्न तालिका में इंगित मादक द्रव्यों के उत्पादन को जारी रखने की अनुमति प्रदान करती है :-

क्रमांक	श्रेणी	कार्यकलाप	मादक द्रव्य
1	आसवनगृह	विनिर्माण और निर्यात	इथनॉल
2	ब्रिवरीज	विनिर्माण और निर्यात	बीयर
3	बोतलबंदी इकाई	विनिर्माण और निर्यात	विदेशी शराब

- उपरोक्त बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 तथा बिहार छोआ (नियंत्रण) अधिनियम 1947 के प्रावधानों के अधीन होगा।
- समाहर्ता नियम के अनुरूप उपरोक्त विनिर्माणशालाओं (कारखाना) की अनुज्ञप्ति को नवीकृत कर सकेंगे।
- यह अधिसूचना तुरत प्रवृत्त होगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
आमिर सुबहानी,  
सरकार के प्रधान सचिव।

18 अक्टूबर 2016

सं0 11/अधि0 कार्या0-01-06/2016/4026—उपर्युक्त अधिसूचना का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त राज्यादेश का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
आमिर सुबहानी,  
सरकार के प्रधान सचिव।

*The 18th October 2016*

No. 11/Adhi. Karya.-01-06/2016/4026—In exercise of the powers conferred under provision to Section 13 of the Bihar Prohibition and Excise Act, 2016, the State Government hereby allows the following categories of existing licensees to continue the production of intoxicants indicated in the table below –

Sl.	Category	Activity	Intoxicant
1.	Distilleries	Manufacture & Export	Ethanol
2.	Breweries	Manufacture & Export	Beer
3.	Bottling Plants	Manufacture & Export	IMFL

(2) The above shall be subject to the provisions of Bihar Prohibition and Excise Act, 2016 and Bihar Molasses (Control) Act, 1947.

(3) The Collector may renew the license of above manufactories in accordance with the rules.

(4) This notification shall come into force at once.

By Order of the Governor of Bihar,  
AMIR SUBHANI,  
*Principal Secretary to the Government.*

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 911-571+500-डी०टी०पी०।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>